भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 207
जिसका उत्तर सोमवार 24 जून, 2019 को दिया जाना है

मन्नावरम, चित्तुर में एनटीपीसी-बीएचईएल परियोजना

207. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के चित्तुर जिले के मन्नावरम में एनटीपीसी-बीएचईएल ऊर्जा परियोजना लिमिटेड (एनबीपीपीएल) ने बॉयलर, टरबाइन और जेनेरेटर की विनिर्माण सुविधाओं का व्यापार जो वर्ष 2010 में इसके व्यापार की मूल योजना थी, न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो बीटीजी के संबंध में इसकी व्यापार योजना और संचालन स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क) से (ख): जी हां, 50:50 इक्विटी की भागीदारी के साथ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) और एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा संवर्धित एक संयुक्त उद्यम एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल), जिसकी विनिर्माण सुविधाएं आंध्र प्रदेश के चित्तुर जिले के मन्नावरम में स्थित हैं, ने अप्रैल, 2010 में निम्नानुसार दो चरणों वाली एक कारोबार योजना तैयार की थी:

- चरण-I: कोयला प्रबंधन संयंत्र (सीएचपी) और राख प्रबंधन संयंत्र (एएचपी) हेतु ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद एवं विनिर्माण) और विनिर्माणकारी सुविधाएं
- चरण-II: बायलर, टरबाइन और जेनरेटर (बीटीजी) हेतु विनिर्माणकारी सुविधाएं

तत्पश्चात, मार्च, 2011 में एनबीपीपीएल बोर्ड ने कारोबार परिदृश्य की समीक्षा की और नोट किया कि इस अवधि में भारत में अलग संयुक्त उद्यम की कंपनियां (जेवीसी) बनाकर अनेक अन्य उद्मियों ने पहले ही बीटीजी उपकरण के विनिर्माण के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, और इसलिए केवल चरण-I पर फोकस करने का निर्णय लिया गया।

(ग): उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर लागू नहीं।

*****